भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4050
दिनांक 25 मार्च, 2025/ 4 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

छात्रों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन

†4050. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मेडिकल विषय के छात्रों सहित छात्रों द्वारा नशीले पदार्थों के उपयोग के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के दौरान देश में दर्ज ऐसे मामलों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नोटिस किया है कि नशीले पदार्थों के उपयोग के कारण छात्रों में अपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) छात्रों द्वारा नशीले पदार्थों के उपयोग को रोकने/नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास इस संबंध में और अधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई) ने भारत में मादक पदार्थों के इस्तेमाल की मात्रा और पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में, देश भर में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच मादक पदार्थों के इस्तेमाल के पैटर्न और प्रोफाइल को समझने के उद्देश्य से वर्ष 2018-2019 में एक केंद्रित विषयगत अध्ययन यथा "छात्रों के बीच मादक पदार्थों का इस्तेमाल" के रूप में एक मल्टी-साइट सर्वेक्षण किया था। इस केंद्रित विषयगत अध्ययन में पूरे देश के 10 अलग-अलग स्थानों को सर्वेक्षण स्थलों के रूप में चुना गया था।

लोक सभा अता. प्र.सं. 4050, दिनांक 25.03.2025

स्कूली छात्रों के नमूने (नमूने का आकार - 5920) में मादक पदार्थ के इस्तेमाल की दर **:**

मादक पदार्थ का वर्ग	**नमूने की संख्या (और प्रतिशत) जिसमें पिछले 12 महीनों में मादक पदार्थ के इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई**
भांग	120 (2.0)
सेडटिव	38 (0.6)
ओपिओइड	163 (2.8)

कॉलेज के छात्रों के नमूने (नमूने का आकार - 2533) में मादक पदार्थ के इस्तेमाल की दर :

मादक पदार्थ	**नमूने की संख्या (और प्रतिशत) जिसमें पिछले 12 महीनों में मादक पदार्थ के इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई**
चरस, गांजा	159 (6.3)
ओपिओइड: अफीम	9 (0.4)
ओपिओइड: हेरोइन	6 (0.2)
पीएच ओपिओइड	40 (1.6)
सेडटिव	37 (1.5)
कोकीन	12 (0.5)
एम्फैटामाइन	4 (0.2)
हेलुसीनोजन	9 (0.4)

(ग): ऐसी कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, देश में मादक पदार्थों के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए एक नोडल विभाग है। मादक पदार्थों के इस्तेमाल की समस्या से निपटने के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मादक पदार्थों के इस्तेमाल में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) को कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत स्कूली बच्चों और नाबालिग युवाओं के पुनर्वास और उनकी जागरूकता के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

लोक सभा अता. प्र.सं. 4050, दिनांक 25.03.2025

(i) नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 272 चिन्हित संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था और अब इसे देश भर के सभी जिलों में विस्तारित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह नशे के आदी व्यक्तियों की पहचान करने, अस्पतालों और नशामुक्ति पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाएं प्रदान करने तथा ऐसे सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर देता है।

(ii) अब तक एनएमबीए के तहत विभिन्न जमीनी (ऑन-ग्राउंड) कार्यकलापों के दौरान 14.79 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है, जिनमें 4.96 करोड़ युवा और 2.97 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। इस अभियान में 4.16 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका संदेश देश भर के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे। इसके अतिरिक्त, इस अभियान को और मजबूत करने के लिए 10,000 से अधिक मास्टर वालंटियर्स (एमवी) की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

(iii) नवचेतना मॉड्यूल (स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और मादक पदार्थों संबंधी शिक्षा पर एक नई चेतना)- शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल के रूप में विकसित किए गए हैं। नवचेतना मॉड्यूल का उद्देश्य स्कूलों में छात्रों के बीच नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जीवन कौशल पर शिक्षा को बढ़ावा देना है।

(iv) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई) ने समुदाय आधारित 46 पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों की सहायता की है। ये सीपीएलआई नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और जीवन कौशल सिखाने के लिए संवेदनशील एवं जोखिम वाले बच्चों तथा किशोरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

(v) नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446 चलाई जा रही है, ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें।

******